

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 950वी बैठक दिनांक 02.06.2026 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचि चत श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	P2/2320/2026	1(a)	उज्जैन	पत्थर एवं मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
2.	P2/2322/2026	1(a)	सीहोर	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
3.	10855/2023	1(a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
4.	7171/2020	1(a)	सिवनी	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण जारी की जाये।
5.	P2/1806/2025	1(a)	आगर मालवा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
6.	P2/1084/2025	1(a)	सतना	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
7.	P2/2319/2026	1(a)	छिन्दवाड़ा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
8.	P2/2356/2026	1(a)	उज्जैन	पत्थर एवं मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
9.	P2/1016/2025	1(a)	जबलपुर	लेटेराईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
10.	P2/2359/2026	1(a)	दतिया	पत्थर एवं मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
11.	10848/2023	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
12.	10457/2023	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

13.	P2/1054/2025	1(a)	मंदसौर	पत्थर एवं मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
14.	P2/999/2024	1(a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/2155/2025	1(a)	खरगौन	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
16.	P2/1717/2025	8(a)	बैतूल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
17.	P2/1190/2025	1(a)	छतरपुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	P2/1105/2025	1(a)	कटनी	चूनापत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
19.	P2/1942/2025	8(a)	भोपाल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
20.	P2/2210/2025	1(a)	सीधी	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु -						
21.	P2/2150/2025	1(c)	सिवनी	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
22.	P2/2149/2025	1(c)	नरसिंहपुर	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	ADS जारी किया जाये।
23.	P2/1035/2025	1(c)	अलीराजपुर	सिचाई परियोजना	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुमंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

1. **Proposal No. SIA/MP/MIN/558813/2026, Case No.P2/2320/2026, Prior Environment Clearance for Murrum & Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 1.00 ha., for Production Capacity of Murrum - 5000 Cum Per Annum, Gitti- 8000 Cum Per Annum & M – Sand 12000 Cum Per Annum, at Khasra No. 388/2, Village Piploda Sagotimata, Tehsil- Nagda, District-Ujjain (M.P.) by Smt. Archana, Lessee, R/o -169, Piplakhunt , Tehsil Ratlam, District Ratlam (M.P)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 877वी बैठक दिनांक 17.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में Pre Feasibility Report (PFR) एवं Environment Management Plan (EMP) अपलोड नहीं की गई है जो कि एक प्रारंभिक दस्तावेज है।
2. सदस्य सचिव, SEAC द्वारा पर्यावरण स्वीकृति के आवेदन के प्रारंभिक परीक्षण के दौरान यह नहीं देखा गया कि प्रकरण में क्या-क्या दस्तावेज अपलोड नहीं है और आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है जबकि उक्त प्रकरण में Pre Feasibility Report (PFR) एवं Environment Management Plan (EMP) परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं है, जो एक गंभीर त्रुटि है।
3. SEAC समिति द्वारा भी बिना Pre Feasibility Report (PFR) एवं Environment Management Plan (EMP) के प्रकरण का परीक्षण कर पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है जो कि गंभीर त्रुटि है।
4. परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा भी बिना Pre Feasibility Report (PFR) एवं Environment Management Plan (EMP) के परिवेश पोर्टल पर आवेदन किया गया जो कि पर्यावरण सलाहकार की लापरवाही एवं गंभीर त्रुटि को परिलक्षित करता है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। साथ ही SEAC को यह भी सूचित किया जाये कि प्रकरण के परीक्षण के दौरान प्रकरण से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड हों सुनिश्चित करें। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

2. **Proposal No.SIA/MP/MIN/570385/2026, Case No.P2/2322/2026 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 Ha., for Production Capacity of 15,000 cubic meter/year, at Khasra no. 242/239, Village - Katpon, Tehsil – Dohara, District - Sehore (M.P.) by Shakil Miyan, Owner, 85, Bagoniya, Mungaliya, Haat District Bhopal (M.P.) 462030**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 877वी बैठक दिनांक 17.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 877वी बैठक दिनांक 17.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीहोर द्वारा आदेश क्र. 3400 दिनांक 23.06.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.06.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले हनुमान मंदिर एवं बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(दीपक अग्र्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग का हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

3. **Proposal No.SIA/MP/MIN/557688/2026, Case No.10855/2023, Prior Environment Clearance for Dolomite Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 9.42 ha., for Production Capacity of 25006 Metric Tone, at Khasra No. 5 Part, 13 Part, 14 Part, Village- Chhapparwah Tehsil- Badwara District Katni (M.P.) by M/S Jay Mahavir Minerals, Plot No 14, Misal Layout, Nagbhoomi Society Indora Nagpur (MH)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 877वी बैठक दिनांक 17.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. प्रश्नाधीन प्रकरण में श्री मनु नारला, सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अवैध उत्खनन के संबंध शिकायत की गई जिसकी प्रति प्राधिकरण द्वारा पत्र क्रमांक 1813-14 दिनांक 24.03.2026 के माध्यम से कलेक्टर जिला कटनी, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल एवं सदस्य सचिव, SEAC को वस्तुस्थिति प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित की गई थी। उक्त शिकायत के बिन्दुओं के संबंध वस्तुस्थिति आज दिनांक तक अपेक्षित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत प्रश्नाधीन प्रकरण में प्राप्त शिकायत के बिन्दुओं पर SEAC से अभिमत प्राप्त किये जाने के लिये प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

4. **Proposal No.- SIA/MP/MIN/546835/2025, Case No. - 7171/2020 Prior Environmental Clearance for Dolomite Quarry (opencast manual method) in an area of 1.0 ha., for production capacity of 11659 TPA, at Khasra No. 29, 30, Village - Jatama, Tehsil - Kurai, Dist. - Seoni (MP) by M/s Linkson Marble & Granite Pvt. Ltd, 4th Floor, Poonam Plaza, Civil Lines, Nagpur, Dist. - Nagpur, MH- 440001 Regarding transfer of EC in the name of Shri Mohsin Kamal, R/o Plot No. 09 Housing Society, Haji Nagar New Yerkheda, Kamtee Nagpur (MH)**

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 908वी बैठक दिनांक 31.10.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्ट्या परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-


1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत पूर्व पर्यावरणीय शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया गया है।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 3750 दिनांक 16.10.2020 में निहित समस्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला कलेक्टर सिवनी से अभिप्रेषणित करवाकर 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।’

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 31.03.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में ईआईए अधिसूचना 2006 (पैरा-11) के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों एवं ADS Reply के माध्यम से प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि पूर्व परियोजना प्रस्तावक M/s Linkson Marble & Granite Pvt. Ltd, 4th Floor, Poonam Plaza, Civil Lines, Nagpur, Dist. - Nagpur, MH-440001 के नाम Dolomite Quarry (opencast manual method) in an area of 1.0 ha., for production capacity of 11659 TPA, at Khasra No. 29, 30, Village - Jatama, Tehsil - Kurai, Dist. - Seoni (MP) की जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति को नवीन परियोजना प्रस्तावक Shri Mohsin Kamal, R/o Plot No. 09 Housing Society, Haji Nagar New Yerkheda, Kamtee Nagpur (MH) के नाम निम्नानुसार अतिरिक्त शर्तों के साथ हस्तांतरित किया जाता है :-

1. उपरोक्त पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र क्रमांक 3750 दिनांक 16.10.2020 में निहित विशिष्ट एवं साधारण समस्त शर्तें यथावत रहेगी तथा पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता म.प्र. खनिज साधन विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक 786/1106862/2023/12/1 दिनांक 07.02.2024 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 11.09.2046 तक वैध मान्य रहेगी।



(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- II. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त विशिष्ट एवं साधारण शर्तों अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जाये एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना 2006 एवं कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 14.06.2022 में निर्धारित प्रावधान एवं प्रक्रिया अनुसार शर्तों का छःमाही अनुपालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से परिवेश पोर्टल अपलोड किया जाये एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भी प्रेषित किया जाये।
- III. नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

5. **Proposal No. SIA/MP/MIN/521472/2025 Case No P2/1806/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 2.0 ha. lease, for production capacity of 15,000 m³/year, at Khasra No. 319/MIN-7, village Malwasa, Tehsil Agar, District Agar Malwa, (Madhya Pradesh) by Shri Rajendra Singh S/O Shri Hokam Singh R/o M.No. 41, Ward No. 01, Rajput Mohalla, Gram Malwasa, Tehsil - Agar, District – Agar Malwa (M.P.)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 824वी बैठक दिनांक 02.09.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 924वी बैठक दिनांक 23.12.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 916वी बैठक दिनांक 27.11.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित लीज क्षेत्र से 750 मीटर की दूरी पर SDM Office प्रस्तावित होना परिलक्षित है। चूंकि पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदित प्रकरण पत्थर खदान का है जिसमें ब्लारिस्टिंग प्रस्तावित है।

अतः प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त के दृष्टिगत कलेक्टर जिला आगर-मालवा से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त खदान से प्रस्तावित SDM Office 750 मीटर की दूरी पर होने के कारण प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना उचित होगा अथवा नहीं।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 27.11.2025 में चाही जानकारी कलेक्टर जिला आगर-मालवा से अपेक्षित है जानकारी प्राप्त होने के उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 03.04.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 824वी बैठक दिनांक 02.09.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 7910-13 दिनांक 25.07.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 24.07.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग का हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

(ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
- खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

6. Proposal No. SIA/MP/MIN/557532/2025, Case no. P2/1084/2025 Prior Environment Clearance for Limestone Mine (Opencast fully mechanized method), in an area of 120.949 ha., for production capacity of Limestone – 519730 Tons per Annum, OB/Waste- 926923.5 Tons per Annum & Soil- 77934 Tons per Annum, Khasra Nos. as per LOI & Approved Mining Plan, Village- Katni, Tehsil- Ramnagar, Dist -Satna (M.P.) by Smt. Indu Ahluwalia, owner, 267K, Ward No. 9, Sindhi Camp, Bandhavgarh Colony. Raghurajnagar, Satna (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 857वीं बैठक दिनांक 05.01.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 924वीं बैठक दिनांक 23.12.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर लीज क्षेत्र के चारों ओर एवं लीज क्षेत्र के अंदर मानव बसाहट परिलक्षित है। खनन कार्य में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है जिसके कारण मानव बसाहट पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्या सुरक्षात्मक उपाय किये गये हैं एवं बसाहट से कितनी दूरी नो माईनिंग जोन के रूप में प्रस्तावित की गई है की जानकारी प्रदान की जाये।
2. गूगल ईमेज के आधार पर खनन क्षेत्र में काफी संख्या में पेड़ परिलक्षित है। लीज क्षेत्र में कितने वृक्ष किस प्रजाति के हैं एवं इनके सुरक्षा के क्या उपाय किये गये हैं तथा कितने पेड़ों को काटा जाना प्रस्तावित है आदि की जानकारी कलेक्टर जिला सतना से अभिप्रमाणित करवाकर प्रस्तुत की जावे।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्तानुसार पर्यावरण सलाहकार का हस्ताक्षरित शपथ पत्र परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जावे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 04.04.2026 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ADS Reply को स्वीकार करते हुए, SEAC की 857वीं बैठक दिनांक 05.01.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-4) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (i) मध्यप्रदेश खनिज साधन विभाग भोपाल द्वारा आदेश क्र. 5140/1611483/2023/12/1 दिनांक 04.10.2023 के माध्यम से 50 वर्ष की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 13.12.2022 के अनुसार पर्यावरण स्वीकृति जारी दिनांक से 30 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Mineals (Other than Atomic and Hydro Carbons Energy Minerals) Concession Rules 2016 के नियम 12 (1) (d) अनुसार मानब बसाहट (आबादी) से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व लीज क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनाई जायेगी, जिसकी ऊंचाई कम से कम 10 फिट रहेगी। इसका पालन प्रतिवेदन 03 माह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त शर्त का परिपालन निर्धारित समयावधि में सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो पर्यावरण स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने के पूर्व खदान क्षेत्र में मौजूद 1675 वृक्षों में से काटे जाने वाले 136 वृक्षों को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा WP no. 17144/2024 एवं WP no. 42565 /2025 में पारित आदेशों के परिपालन में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के उपरांत ही काटा जायेगा एवं इसके एवज में 10 गुना पौधों का रोपण किया जायेगा व संरक्षण हेतु ट्री गार्ड लगाये जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा WP no. 17144/2024 एवं WP no. 42565 /2025 में पारित आदेशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।


(दीपक अग्रवाल)
सदस्य सचिव



(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग का हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड़ की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

7. Proposal No. SIA/MP/MIN/565263/2026, Case No. P2/2319/2026 Prior Environment Clearance for Crusher Stone Quarry, in an area of 1.00 ha., for production capacity of 8068 Cubic Meter, at Khasra No. 295, Village- Gonawari Tehsil- Tamia District Chhindwara (M.P.) by Shri Shailendra Singh Chouhan, Lessee, Ward No. 09, In front of Nagar Panchayat, Badkuhi, Bhajipani District- Chhindwara (MP) 480449

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 878वीं बैठक दिनांक 24.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :-

“ It is not inherently safe to carry out stone mining with blasting in a coal bed methane area (CBM) and it is considered a high risk situation. As stone is not a rare material in comparison to CBM and available all over state in large quantity. In view of above environmental sensitive reasons the case is not recommended for grant of EC.”

प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 01.06.2026 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि SEAC समिति द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं के आधार निरस्त किये गये प्रकरण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC समिति के समक्ष पुनः स्पष्टीकरण/जानकारी प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC समिति परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुनः प्रस्तुत आवेदन के अनुसार परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त कर SEAC प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अपने अभिमत के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करें। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष


8. Proposal No.SIA/MP/MIN/565303/2026, Case No. P2/2356/2026 Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 3.800 Ha., for production capacity of 10,000 m³/ Year Stone (Gitti), 39,000 m³/Year M-Sand & 5826 m³/Year Murrum, at Khasra No.- 596/2/3, 596/1, 596/3, 597/1, 597/2 & 598, Village Banjari, Tehsil- Mahidpur, District Ujjain (M.P) by Smt. Supriya Sarada, owner, R/o -2, Gandhimarg, Mahidpur, District Ujjain (M.P)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 878वी बैठक दिनांक 24.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 878वी बैठक दिनांक 24.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन द्वारा पत्र क्र. 3517 दिनांक 09.12.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.12.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग का हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुमदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

9. Proposal No. SIA/MP/MIN/557851/2026, Case No. P2/1016/2025 Prior Environment Clearance for Laterite Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 1.312 ha. for production capacity of 15003 Tons per Annum, at Khasra No. 237,245 – Village Deonagar, Tehsil Sihora, District Jabalpur (M.P.) by Shri Shrikant Pandey, Owner, Flat Number-102, MR-4 Road, Vijay Shree Tower Ekta Nagar Jabalpur, Lamti, Jabalpur, Madhya Pradesh-482002


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 879वी बैठक दिनांक 28.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 879वी बैठक दिनांक 28.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल द्वारा आदेश क्र. 16158-59 दिनांक 20.12.2023 के माध्यम से 30 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 19.12.2053 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले मानव बसाहट से न्यूनतम 100 मीटर तक एवं कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार खसरा नम्बर 245 पर कोई उत्खनन कार्य नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (viii) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP का EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग का हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

10. Proposal No. SIA/MP/MIN/566336/2025, Case No. P2/2359/2026 Prior Environment Clearance for Murrum & Stone Quarry, in an area of 1.80 Ha., for production capacity of 13,500 Cubic meters per year, at Khasra no.- 267, Village Jaswantnagar, Tehsil Seondha, District - Datia (M.P.) by Shri Ankit Khare, Partner, M/s Radhika Brothers, 206/k, Nehru ward no. 4, Goswami Muhalla Senodha, Datia, Distt. - Datia (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 879वी बैठक दिनांक 28.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :-

" The committee have observed in google image that proposed site is surrounded by a deep pit in complete length of south-east direction within and outside the lease area and asked PP/Consultant as how the barrier zone can be maintained where a huge filling is required in south-east direction. As per Ekal certificate dated 02.01.2026 there is no other mine within 500 mt. of the site.

In view of above facts as it is practically impossible to maintain / re-store barrier zone in complete length of South-east direction of the proposed site, hence site is not recommended for grant of EC."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 878वी बैठक दिनांक 24.03.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक अर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

11. Proposal No. SIA/MP/MIN/563174/2025 Case No. 10848/2023 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha., For Production Capacity of -79152 cum per year, Gitti-19788 cum per year, at Khasra No. 563/1, Village- Rudahera, Tehsil- Ghatiya, District Ujjain (M.P.) by Shri Arun Pratap Singh Bhadoria, Partner, M/s AB Construction, M.R. C-518, Anand Nagar, Sanwar Road, District-Ujjain (MP)- 456010

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 878वी बैठक दिनांक 24.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 878वी बैठक दिनांक 24.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 19.03.2019 के माध्यम से दिनांक 08.06.2028 तक लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.06.2028 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव



(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP)का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP का EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग का हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव



(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष


12. Proposal No. SIA/MP/MIN/538227/2025, Case No 10457/2023, Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha., For Production Capacity of – Gitti 40000 cum per year & M-Sand-35000 cum per year, at Khasra No. 357, Village-Ghura, Tehsil-Rajnagar, District-Chhatarpur (MP) by Shri Pradeep Khare, Owner, M/s Golden Stones, R/o Jawahar Road, Nowgaon, District-Chhatarpur (MP)-471001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 878वी बैठक दिनांक 24.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 878वी बैठक दिनांक 24.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर द्वारा पत्र क्र. 3448 दिनांक 27.12.2020 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 26.12.2030 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।



(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (viii) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP का EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारू रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारू रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आशवासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग का हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंद सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

13. Proposal No. SIA/MP/MIN/560773/2025, Case No. P2/1054/2025, Prior Environment Clearance for Stone & Murrum Quarry, in an area of 1.643 ha., For Production Capacity of -10,000 m³/year, M-sand 7,000m³/year, Murrum 3,000 m³/year at Khasra No. 329, at Village- Digaonkhurd, Tehsil- Mandsaur, District- Mandsaur (M.P.) By Shri Krishnpal Singh, Partner, Damodar Mineral, R/oSitamau Phatak Mandsaur, District-Mandsaur, (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 878वी बैठक दिनांक 24.03.2026 में SEAC ने अभिमत दिया है कि :-

" The SEIAA in their 939th meeting dated 17/02/2026 have considered the mail correspondence date 12/02/2026 from PP regarding fulfilment of the issues/objections raised by SEAC. The PP/Env consultant have produced document regarding lease validity dated 18/02/2026. It is evident that the lease document was not in existence of validity from 20/01/2026 till 17/02/2026 (SEAC meeting dated 20/01/2026 and SEIAA meeting dated 17/02/2026). Lease document dated 24/07/2024 directs to obtain EC within 12 months, the portal reveals that application for EC is filed on 09/12/2025, proves negligence on part of PP/Env consultant.

In view of above facts the case is not found fit in lack of valid lease document at the time of SEAC and SEIAA meetings and cannot be recommended."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि SEAC की 878वी बैठक दिनांक 24.03.2026 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य



(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

14. Proposal No. SIA/MP/MIN/472196/2024 Case No. P2/999/24 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 2.00 ha., For Production Capacity of – 5000 m³/Year and M-Sand - 3350 m³/Year, at Khasra No. 394/ Min-2, Village Nariya Buzurg, Tehsil Shamgarh, District Mandsaur (M.P.) By Shri Dinesh kumar Patidar, Lessee, R/o-Garoth, Tehsil Garoth, District-Mandsaur, (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 764वी बैठक दिनांक 06.06.2025 एवं 879वी बैठक दिनांक 28.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 764वी बैठक दिनांक 06.06.2025 एवं 879वी बैठक दिनांक 28.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर द्वारा पत्र क्र. 1679 दिनांक 13.09.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की लीज नवीनीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.09.2033 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव



(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग का हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड़ की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

15. Proposal No. SIA/MP/MIN/548640/2025 Case No. P2/2155/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (opencast semi mechanized method), in an area of 3.100 Ha., For Production Capacity of - 40000 Cu.Mt./Year and M-Sand 30000 cu.Mt./Year, at Khasra No. 110/1 (S) & 104/1 (S), Village - Laikhedi Tehsil - Jhiranya, District – Khargone (M.P.) By Shri Ruchika Mohta, Lessee, IDEAL EXOTICA, Block C, Flat 7A, 8A, 21 Pramatha Chowdhury Sarani, New Alipore, Kolkata, West Bengal- 700053

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 एवं 879वी बैठक दिनांक 28.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 859वी बैठक दिनांक 10.01.2026 एवं 879वी बैठक दिनांक 28.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगौन द्वारा आदेश क्र. 540 दिनांक 08.07.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 07.07.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मों के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग का हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुर्मदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

16. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/536338/2025; Case No. P2/1717/2025: Prior Environment Clearance for Proposed "Emerald Heights and Residences" Project at Near Khasra no. 10/2, 13/2, 13/3 at Village Badnoor Dhana, Ward No.6, Kothi Bazar, Akashwani Road, District –Betul, (M.P.) Total Project Area – 22,984.1 Sq.mt. (5.7 acre) Total Built up Area – 58,699.61 Sq.mt. by Shri Neeraj Vijay, Director, M/s SSN Annapurna Heights LLP, House No.26, New Friends Society Walmi Road, Chuna Bhatti, Bhopal (M.P.).-462042.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 828वीं बैठक दिनांक 16.09.2025 एवं 879वीं बैठक दिनांक 28.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. उपरोक्त विषयांकित आवासीय एवं वाणिज्यिक परियोजना "Emerald Heights and Residences" खसरा क्रमांक 10/2, 13/2 एवं 13/3, ग्राम बड़नूर धाना, वार्ड क्रमांक 6, कोठी बाजार, आकाशवाणी रोड, जिला बैतूल (मध्य प्रदेश) में स्थित है। यह परियोजना प्रस्ताव श्री नीरज विजय, Director, M/s SSN Annapurna Heights LLP, House No.26, New Friends Society Walmi Road, Chuna Bhatti, Bhopal (M.P.).-462042 द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल क्षेत्रफल 22,984.10 वर्गमीटर (5.70 एकड़) तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल 58,699.61 वर्गमीटर है। जो 1,50,000 वर्गमीटर से कम है अतः यह परियोजना पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 एवं उसके समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार श्रेणी 'बी', अनुसूची 8(a) Building and Construction Project के अंतर्गत शामिल है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 828वीं बैठक दिनांक 16.09.2025 एवं 879वीं बैठक दिनांक 28.03.2026 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त 828वीं बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 6 से 17 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

S.No.	Projects Details
1.	Project Name/Activity Prior Environment Clearance for "Emerald Heights and Residences" by SSN Annapurna Heights LLP, developed at Khasra No. 10/2, 13/2, 13/3, Village- Badnoor Dhana, Ward No.-6, Kothi Bazar, Akashwani Road, District- Betul (M.P.). Total Plot Area 22,984.1 Sq.mt. (5.7 acre). Total Built-up Area - 58699.61 Sq.mt.


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 950वीं बैठक दिनांक
02.06.2026 का कार्यवाही विवरण


2.	Project Cost.	143.110 Crores.
3.	Consent Order (CTE)	Consent No: CTE-62487, Outward No: 123105,03/07/2025 (New) For: Total Plot Area 22984.1 Sq. mt. Built-up area (FAR & Non-FAR) 58699.61 Sq. mt. <ul style="list-style-type: none"> • Residential Flats 270 nos. • Commercial Shops 276 nos. • Hotel 1 no. • Multiplex 1 no.
4.	Builtup Area details	58699.61 Sq.mt.
5.	Building Height	30 Meter.
6.	Fire NOC details	6100020001/FNOC/COL/2025/1903. Date 07-Apr-25.
7.	MSW NOC	Letter 1022 dt. 28/02/2025.
8.	Sewage NOC	Letter 6010 dt. 08/10/2024.
9.	Water NoC	Letter 963 dt. 27/02/2025.
10.	Waste Wate NoC	Letter 965 dt. 27/02/2025.
11.	T&CP Permission	Letter No. BETLP08102405949 dated 28/OCT/2024
12.	RWH	4 RWH pits.
13.	DG set capacity	175 KvA.
14.	Environmental Consultant	M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.)

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी अभिप्रमाणित दस्तावेजों व **ADS reply** के माध्यम से प्रस्तुत विवरणों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 828वीं बैठक दिनांक 16-09-2025 एवं 879वीं बैठक दिनांक 28-03-2026 की अनुशंसा व अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)की 950वीं बैठक दिनांक 02-06-2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से, मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) एवं निम्न विशिष्ट शर्तों (i से ix) के साथ परियोजना प्रस्तावक को **EIA अधिसूचना 2006** एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा Affidavit of Undertaking regarding Information/Data Originality तथा Registered Qualified Person (RQP) Environmental Consultant संबंधी शपथपत्र (Affidavit) इस आदेश के जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर में प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
- परियोजना प्रस्तावक परिवेश पोर्टल पर भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- iii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- iv. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
- v. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30% गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।
- vi. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।
- vii. परियोजना स्थल पर ई-वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- viii. प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि न हो।
- ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीएसआर/सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीएसआर/सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
 - परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

17. Proposal No. SIA/MP/MIN/554351/2025 Case No.P2/1190/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 4.00 ha., For Production Capacity of 75000 cum per annum (As per SEAC recommendation), at Khasra No. 357, Village Ghura, Tehsil- Rajnagar, District Chhatarpur (M.P.) By Shri Dharmendra Rai, Partner, Premium Stones, R/o- Ward No 12 city charchkesamnaugaon, District- Chhatarpur (M.P.)


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 एवं 879वी बैठक दिनांक 28.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 एवं 879वी बैठक दिनांक 28.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 12.07.2021 के माध्यम से दिनांक 22.03.2031 तक लीज की स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 22.03.2031 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।



(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (viii) क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP)का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP का EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell का गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माईनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग का हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव



(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य



(शिब नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

18. Proposal No. SIA/MP/MIN/554316/2025 Case No. P2/1105/2025 Prior Environment Clearance for Limestone Mine (Opencast semi mechanized method), in an area of 4.42 ha., For Production Capacity of 100000 TPA to 199950 TPA, at Khasra No. 54, 55, 56, 60, 61, Village- Jamuwani Khurd, Tehsil- Vijayraghavgarh, District Katni (M.P.) By Shri Satrughan Prasad Tiwari, Authorized Signatory, SNS Minerals Private Limited, Sunderson house NH 7 Rewa Road Maihar Satna (M.P.)

प्रश्नाधीन प्रकरण में EDS जारी किया गया था जिसका जबाव परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17.10.2025 को प्रस्तुत किया गया। उक्त जबाव परिवेश पोर्टल पर पृष्ठ क्रमांक 1 से लेकर 56 तक उपलब्ध है। इसके बाद प्रकरण SEAC की 850वी बैठक दिनांक 06.12.2025 में विचारण में लिया गया। SEAC ने पाया कि "The Committee have discussed the case and reviewed EIA report for expansion and CCR. The EIA report for expansion and CCR for compliance of EC condition for existing capacity reveals that PP is complying the EC conditions for present production capacity, however the proposed Capacity Expansion from 100,000 TPA to 19,9950 TPA, no additional mitigative measures are proposed in the EIA/EMP report. It is evident that mining activities generates particulate emission that can be minimized only through limited available pollution control measures. In this case the proposed production is just double of the existing production capacity with no extra pollution mitigative measures/plans/proposals etc. In view of above facts, the committee is of considered opinion not to recommend case for proposed expansion from 100,000 TPA to 19,9950 TPA, and is submitted for necessary orders at SEIAA end"

इसके बाद प्रकरण SEIAA की 932वी बैठक दिनांक 27.01.2026 में विचारण में लिया गया। SEIAA ने पूर्ण विचरोपरांत निर्णय लिया कि "प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 26.01.2025 के माध्यम से अनुरोध किया गया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC समिति के समक्ष क्षमता विस्तार से होने वाले अतिरिक्त प्रदूषण, शोर एवं पानी छिड़काव आदि के संबंध में SEAC की सभी शर्तें स्वीकार है किन्तु SEAC द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त जानकारी न चाहते हुए सीधे ही प्रकरण को निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई। जबकि इसी तरह के अन्य क्षमता विस्तार के प्रकरणों में SEAC द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है किन्तु इस इस प्रकरण को Not recommended किया गया। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर SEAC प्रकरण का पुनः परीक्षण कर अपने अभिमत के साथ प्राधिकरण को प्रेषित करें। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये। " SEIAA की पृच्छा के परिप्रेक्ष्य में SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावक से उक्त Query के संबंध में जबाव चाहा गया। इस पर परियोजना प्रस्तावक ने दिनांक 16.03.2026 को विस्तृत रूप से जबाव प्रस्तुत किया। यह जबाव 229 पृष्ठों में समाहित होकर परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके बाद प्रकरण को SEAC समिति द्वारा अपनी 879वी बैठक दिनांक 28.05.2026 में विचारण में लिया।



(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 26.01.2026 को प्रेषित ई-मेल में बताया कि वह SEAC द्वारा प्रस्तावित समस्त Mitigation measure का पालन करने के लिये तत्पर है। परियोजना प्रस्तावक ने ई-मेल में Dust Generation, Dust plume, Re suspension of dust आदि विभिन्न बिन्दुओं पर Pollution Mitigation की जानकारी प्रदाय की गई इसके अलावा परियोजना प्रस्तावक द्वारा Query का जो जबाव प्रस्तुत किया गया (229 पृष्ठ में) उसमें भी प्रदूषण निवारण के विभिन्न उपायों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। SEAC ने अपनी बैठक में उक्त बिन्दुओं को नजर अंदाज किया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा RO MoEF&CC द्वारा जो CCR प्रस्तुत किया गया है उसमें ई.सी. की Compliance पाई गई है। जहां तक Expansion की बात है तो उसके लिये परियोजना प्रस्तावक ने विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है।

अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रश्नाधीन प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ADS के माध्यम से प्रस्तुत जबाव का बिन्दुवार विस्तृत परीक्षण किये जाने एवं नियमानुसार अभिमत व अनुशंसा हेतु पुनः SEAC को परीक्षण के लिये अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

19. Proposal No. SIA/MP/INFRA2/548686/2025; Case No P2/1942/2025: Prior Environment Clearance for Commercial Project (Local Shopping Centre / Mercantile Complex) "SAGE WORLD TOWER" located at Plot No. 10 & 11, Vidhya Nagar Phase-3, Village Bawadia Kalan, Tehsil Kolar, District Bhopal (M.P.). The total plot area is 4987.78 m² and the total built-up area (FAR +Non-FAR) will be 43,378.32 m². The project will consist of shopping outlets, offices and service facilities with a maximum building height of 45 m (G+11 floors) by Shri Sanjeev Agrawal, Partner, M/s SAGE EARTH, 250, Sage Plaza, MP Nagar, Zone-II, Bhopal (M.P.)- 462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 879वी बैठक दिनांक 28.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. उक्त प्रकरण वाणिज्यिक परियोजना (Local Shopping Centre / Mercantile Complex) "SAGE WORLD TOWER" से संबंधित है, जो प्लॉट क्रमांक 10 एवं 11, विद्या नगर फेज-3, ग्राम बावड़िया कलां, तहसील कोलार, जिला भोपाल (मध्य प्रदेश) में प्रस्तावित है। यह परियोजना प्रस्ताव Shri Sanjeev Agrawal, Partner, M/s SAGE EARTH, 250, Sage Plaza, MP Nagar, Zone-II, Bhopal (M.P.)- 462011 द्वारा प्रस्तुत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्रफल 4,987.78 वर्गमीटर है तथा कुल निर्मित क्षेत्रफल (built-up area) 43,378.32 वर्गमीटर है, जिसमें FAR क्षेत्रफल 17,280.91 वर्गमीटर एवं Non-FAR क्षेत्रफल 26,097.41 वर्गमीटर सम्मिलित है जो 1,50,000 वर्गमीटर से कम है अतः यह परियोजना पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 एवं उसके समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार श्रेणी 'बी', अनुसूची 8(a) (Building and Construction Projects) के अंतर्गत शामिल है।
3. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 879वी बैठक दिनांक 28.03.2026 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 73 से 89 तक अंकित है।
4. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

S.No.	Project Details	
1.	Project Name/Activity	Prior Environment Clearance for proposed project "SAGE WORLD TOWER" is a premium commercial development located at Commercial Plot No. 10 & 11, Vidhya Nagar Phase-3, Village Bawadia Kalan, Tehsil Kolar, District Bhopal (M.P.). Total Plot Area 4987.78 m ² , Total Built-up Total Built-up Area: 43,378.32m ² (FAR Area: 17,280.91 m ² + Non-FAR Area: 26,097.41 m ²).

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 950वी बैठक दिनांक
02.06.2026 का कार्यवाही विवरण**

2.	Project Cost.	7400 Lakhs.
3.	Maximum Height	45.00 mt.
4.	Lat./Log. (as per Conceptual Plan Pg. No. -3)	Coordinates of Project Site: A: 23°10'33.65"N, 77°27'32.54"E B: 23°10'32.33"N, 77°27'30.05"E C: 23°10'30.66"N, 77°27'31.14"E D: 23°10'31.99"N, 77°27'33.60"E
5.	CTE details.	Consent No: CTE-62974, dtd. 11.09.2025 for total Builtup area 43378.32 sqm., and its amendment vide letter dated 24/11/2025.
6.	EE, BDA Bhopal letter copy	Office of Executive Engineer, Bhopal Development Authority, Bhopal letter no. 1682 dated 24/10/2024 (Commercial Plot 10 And 11 Vidhya Nagar Phase-3, Bhopal (Clubing).
7.	High rise permission	letter 661/BPLLP/0712244043/2024 dated 11/04/2025
8.	Building Permission	PMT/BHO/0269/1761/202 5 dated 04 Aug.2025.
9.	T&CP Final Permission	Letter No. BPLLP27072451230 dated 31/12/2024.
10.	MSW NOC	Letter No. 228 /Health Deptt /Bhopal dt. 19/08/2025.
11.	Sewage NOC	The proposed project will adopt Zero Liquid Discharge (ZLD) system. Wastewater generated will be treated in the on-site STP and 100% treated water will be reused within the premises for landscaping, flushing, and other non-potable purposes. Hence, no external discharge and no separate NOC for extra treated wastewater is required.
12.	Water NOC	Letter No. Q1 /Zone-13/BMC/Bhopal dt. 19/08/2025.
13.	Fire NOC details	6100019177/FNOC/COL/2025/0855, Bhopal dt. 09 Jan. 2025.
14.	Parking Proposed Area	15,438.53 m ² total parking area.
15.	Water requirement details	~28 KLD from Nagar Nigam Bhopal municipal supply (as per Conceptual Plan Pg. No. -5)
16.	Sewage Treatment plant	Wastewater generated from the project (~43.40 KLD) will be treated in the proposed 50 KLD STP based on MBBR technology.
17.	RWH	02 Rainwater Harvesting Pits with recharge bore of ~150 mm dia up to 30 m depth.
18.	DG set capacity	~500 kVA total (2 DG sets – exact kVA to be confirmed for load distribution).
19.	Environmental Consultant	Creative Enviro Services, Bhopal (M.P.).


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य



(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी व अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 879वी बैठक दिनांक 28-03-2026 की अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)की 950वीं बैठक दिनांक 02-06-2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से, मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) एवं निम्न विशिष्ट शर्तों (i से viii) के साथ परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- i. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
- ii. परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- iii. परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्य रूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
- iv. परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30% गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।
- v. परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।
- vi. परियोजना स्थल पर ई-वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- vii. प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि न हो।
- viii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीएसआर/सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीएसआर/सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा नजदीकी शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

20. Proposal No. SIA/MP/MIN/559972/2025 Case No. P2/2210/2025 Prior Environment Clearance for Stone Mine (opencast semi mechanized method), in an area of 2.92 ha., For Production Capacity of -24797 cum per annum, at Khasra No. 624, Village- Shivpurwa, Tehsil Gopadbanas, District Sidhi (M.P.) By Shri Rajnish Pathak, Project Proponent, M/s Suvesha Infra Private Limited, MIG 157, Padamdhar Colony dhekaha, Near Choti Pul, Huzur, Rewa, M.P. 486001

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 एवं 879वी बैठक दिनांक 28.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 867वी बैठक दिनांक 07.02.2026 एवं 879वी बैठक दिनांक 28.03.2026 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी द्वारा पत्र क्र. 718 दिनांक 02.09.2025 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 01.09.2035 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नहर एवं पक्की सड़क से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद पेड़ों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव



(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

- (vi) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में एक पेड़ मॉ के नाम के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) करवाये जाने हेतु जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तर पर 02 वरिष्ठ अधिकारियों (जिसमें 01 अधिकारी वन विभाग का हो) को अधिकृत किया जावे जिनके द्वारा संयुक्त भौतिक सत्यापन कर अनुमति की शर्त अनुसार किये गये वृक्षारोपण की जानकारी अनिवार्यतः जिला कलेक्टर एवं जिला कलेक्टर के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करावाई जाये।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के गाँव व नजदीकी गाँव के शासकीय विद्यालय/शासकीय कन्या विद्यालय में बालिकाओं के लिये सेनेटरी पेड की वेन्डिंग मशीन की स्थापना अनिवार्यतः की जायेगी एवं 05 वर्ष तक रिफिलिंग का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा ही सुनिश्चित किया जायेगा।
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

21. Proposal No. SIA/MP/RIV/544816/2025; Case No.- P2/2150/2025 Environmental Clearance for Sher Irrigation Complex Project (DAM-4) 25 Villages in Seoni district on Kanera River, Covering a Cultural Command Area (CCA) of 7,000 Ha. in Lakhnadon, Tehsil of Seoni (M.P.) by Water Resources Department, (M.P.) Shri Santkumar Sirsam, Executive Engineer, Water Resources Division, Pench Colony, Chand Road, Teh Chouri, Dist Chhindwara (Mp) – 480115.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 880वी बैठक दिनांक 31.03.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्र. 87 से 104 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात नियंत्रण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्ट्या निम्नानुसार स्थिति पाई गई :-

1. परियोजना में वन भूमि डायवर्सन के लिए प्रस्ताव संदर्भ संख्या **Proposal ID: FP/MP/HYD/IRRIG/527616/2025 dated 05/03/2025** के माध्यम से आवेदनित है, जिसका विवरण SEAC समिति के कार्यवाही विवरण में उल्लिखित है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी चरण-I की वन मंजूरी (**Stage-I Forest Clearance**) प्राप्त कर परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड की जाए।
2. आवेदन में **Consent to Establish (CTE)** प्राप्त होना उल्लेखित किया गया है, किन्तु संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं पाए गए। अतः मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी **CTE** की प्रति प्रस्तुत करें।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 2 तक की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

22. Proposal No. SIA/MP/RIV/544856/2025; Case No.: P2/2149/2025: Prior Environment Clearance for Sher Irrigation Complex Project (DAM-3) on Sher River, Covering a Cultural Command Area (CCA) of 7,500 ha in Narsinghpur Tehsil of Narsinghpur District, Madhya Pradesh By Shri Santkumar Sirsam, Executive Engineer, WRD, Narsinghpur, M.P. Water Resources Division, Pench Colony, Chand Road, Teh Chouri, Dist Chindwara (Mp) 480115.


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 881वी बैठक दिनांक 02.04.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। जिसका विवरण उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण के पृष्ठ क्र. 50 से 70 पर अंकित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात नियंत्रण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्ट्या निम्नानुसार स्थिति पाई गई :-

1. परियोजना में वन भूमि डायवर्सन के लिए प्रस्ताव संदर्भ संख्या **Proposal ID: FP/MP/HYD/IRRIG/514743/2024 dated 17.12.2024** के माध्यम से आवेदनित है, जिसका विवरण **SEAC** समिति के कार्यवाही विवरण में उल्लिखित है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना की पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी चरण-I की वन मंजूरी (**Stage-I Forest Clearance**) प्राप्त कर परिवेश पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड की जाए।
2. आवेदन में **Consent to Establish (CTE)** प्राप्त होना उल्लेखित किया गया है, किन्तु संबंधित दस्तावेज संलग्न नहीं पाए गए। अतः मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी **CTE** की प्रति प्रस्तुत करें।
3. पेसा अधिनियम (**PESA Act**) के अनुपालन में केवल ग्राम खुबी रैयत की ग्राम सभा सहमति प्रस्तुत की गई है, जबकि परियोजना से अन्य ग्रामों की भूमि एवं खसरे भी प्रभावित होना दर्शाया गया है अतः सभी प्रभावित ग्रामों की ग्राम सभा सहमति/संकल्प की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करें।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 3 तक की जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये, इसके उपरांत ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक अरथी)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

23. Proposal No. SIA/MP/RIV/568783/2026; Case No. P2/1035/2025; Prior Environmental Clearance for Sondwa Micro Lift Irrigation Project located in Sondwa, Alirajpur, Jobat, Katthiwada and Chandra Shekhar Azad Nagar (Bhabra) Tehsils of Alirajpur District, Madhya Pradesh, having a Cultivable Command Area (CCA) of 55,013 ha and benefiting a total of 169 villages of Alirajpur District. The project is proposed by Shri Mahendra Singh Chouhan, Executive Engineer, Lower Narmada Projects, Narmada Valley Development Authority (NVDA), Narmada Bhavan, B-G, Scheme No. 74-C, Vijay Nagar, Indore, District Indore (M.P.) – 452010.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 889वीं बैठक दिनांक 30.04.2026 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है जिसका कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 98 से 142 तक अंकित है।

प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रथम दृष्टया परीक्षण में निम्नानुसार पाया गया :-

1. उपरोक्त विषयांकित "सोंडवा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना " मध्य प्रदेश के मध्यप्रदेश के अलीराजपुर जिले की सोंडवा, अलीराजपुर, जोबट, कट्टीवाड़ा एवं चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा) तहसीलों में 55,013 हेक्टेयर Culturable Command Area (CCA) क्षेत्र की सिंचाई के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (Prior Environment Clearance) हेतु प्रस्तुत है।
2. परियोजना के अंतर्गत कुल 169 ग्रामों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है, जिनमें सोंडवा तहसील के 77 ग्राम, अलीराजपुर के 28 ग्राम, जोबट के 17 ग्राम, कट्टीवाड़ा के 31 ग्राम तथा चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा) तहसील के 16 ग्राम शामिल हैं।
3. परियोजना हेतु कुल 18.128 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता आकलित की गई है, जिसमें 13.238 हेक्टेयर शासकीय भूमि तथा 4.890 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि सम्मिलित है।
4. गैर-वानिकी प्रयोजन हेतु 4.890 हेक्टेयर वन भूमि के विचलन के लिए वन स्वीकृति (Forest Clearance) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा पत्र FP/MP/HYD/IRRIG/547859/2025 दिनांक 07.04.2026 के माध्यम से प्रदान की गई है।
5. परियोजना का Culturable Command Area (CCA) 55,013 हेक्टेयर है अतः EIA Notification, 2006 तथा समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुसार यह परियोजना श्रेणी-B1 के अंतर्गत अनुसूची 1(C) नदी घाटी/सिंचाई परियोजना (River Valley and Irrigation Project) की मेजर सिंचाई परियोजना (Major Irrigation Project: CCA > 10,000 हेक्टेयर) में शामिल है।


(दीपक अग्रवाल)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

6. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 889वीं बैठक दिनांक 30.04.2026 को "पर्यावरणीय स्वीकृति" प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 165 से 181 तक अंकित है।
7. परियोजना का विवरण निम्नानुसार है :-

S.No.	Projects Details	
1.	Description of Project	Prior Environment Clearance for Sondwa Micro Lift Irrigation Project, The Sondwa Micro Lift Irrigation Project has been conceived to cater irrigation water to about 55,013 Ha. of CCA in Alirajpur District. A Total of 169 Villages of Alirajpur district will be benefited by this scheme.
2.	River details	Hathni River Near Chameli Village.
3.	ToR details	TOR Identification No. TO25B0502MP5305838N dt. 21/08/2025.
4.	CCA details	55,013 Ha.
5.	Administrative Approval	F- NVD/2/0005/2024 Letter दिनांक 13.03.2025
6.	SPCB Comments/CTE details.	PCB ID: 1739551, Consent No: CTE-63843, Outward No: 129442, 12/02/2026, Consent to Establish up to 31/01/2031
7.	Forest Clearance details	Forest Clearance for diversion of 4.89 ha of forest land for non-forestry purposes has been granted by MoEF&CC vide letter FP/MP/HYD/IRRIG/547859/2025 dt. 07.04.2026.
8.	Land Requirement (in Ha) of the project or activity	Non-Forest Land [A] - 13.238 Ha. (Govt. land) Forest Land [B] - 4.89 Ha. Total Land [A+B] - 18.128 Ha.
9.	DFO NOC	DFO office, Alirajpur Letter No. 5184 dated 04/10/2024. ➤ Sardarpur Centaury (Dhar) - 150 km. ➤ Ratanmahal Centaury (Gujrat) - 100 km.
10.	PWD distance letter	EE, PWD, Khandwa Division, Distt.-Alirajpur Letter No. 2099 dated 07/10/2024. ➤ Inter State Boundary distance - 50 km (Gujrat State).
11.	Environmental Consultant Details	R.S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd. Gurgaon Haryana.

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नासायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/पर्यावरण सलाहकार द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति 889वीं बैठक दिनांक 30.04.2026 की कार्यवाही विवरण, अनुशंसा एवं अधिरोपित शर्तों को राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA)की 950वीं बैठक दिनांक 02.06.2026 में मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) एवं निम्न विशिष्ट शर्तों (बिंदु i से vi) के साथ परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- i. **Stage-I Forest clearance** में निहित शर्तों का पालन सुनिश्चित करें।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग की जाये।
- iii. बिजली के वैकल्पिक स्रोत के रूप में परियोजना प्रस्तावक को पंप हाउस के उचित संचालन के लिए आवश्यक सौर पैनल स्थापित करना सुनिश्चित करना चाहिए।
- iv. यदि संचालन अवधि के दौरान दलदली भूमि का निर्माण होता है, तो परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए।
- v. परियोजना प्रस्तावक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुशंसित ई-प्रवाह को हर समय संबंधित बैराजों के तत्काल नीचे की ओर बनाए रखा जाना E-flow चाहिए। E-flow को छोड़ने के बाद शेष पानी सिंचाई के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
- vi. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (भवन व निर्माण के प्रकरणों हेतु)

परिशिष्ट -1

1. MPSEIAA द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 19.06.23 के अनुसार यदि परियोजना में भू जल निकासी की जाती है तो निम्नानुसार निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करे :-
 - a. जिन मामलों में पानी की आपूर्ति पानी के टैंकों के माध्यम से की जानी है, उन परियोजनाओं में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पानी की आवश्यकता को केवल लाइसेंस प्राप्त टैंकर जल आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
 - b. सक्षम प्राधिकारी (सीजीडब्ल्यूबी/सीजीडब्ल्यूए) की पूर्व अनुमति के बिना भूजल निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। तदानुसार, भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी की प्रति सभी नियामक प्राधिकरणों, अर्थात् प्राधिकरण (राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन भारत सरकार, भोपाल, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।
 - c. परियोजना प्रस्तावक भूजल निकासी के लिए एन.ओ.सी में किए गए अनुबंधों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और इसकी स्थिति छह मासिक अनुपालन रिपोर्ट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत करेंगे।
2. भूमि स्वमित्व के दस्तावेजों में किसी प्रकार की विवादस्पद के स्थिति में परियोजना प्रस्तावक की स्वयं की जवाबदारी होगी।
3. यदि परियोजना स्थल राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य के 10 किमी के दायरे में अधिसूचित इकोसेंसिटिव जोन के भीतर स्थित है, तो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत मंजूरी का आवेदन जो कि वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया है कि प्रति संलग्न करे।
4. यदि परियोजना स्थल जल निकाय के आसपास है, तो जल निकाय के किनारे से स्थल की ओर 50 मीटर की दूरी को विकास/निर्माण क्षेत्र नहीं माना जाएगा। यदि यह आर्द्रभूमि के निकट है, तो आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये एवं आवश्यक अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त किया जावे।
5. SEIAA द्वारा प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
6. PP should ensure linkage with municipal sewer line for disposal of extra treated waste water.
7. The inlet and outlet point of natural drain system should be maintained with adequate size of channel for ensuring unrestricted flow of water.
8. The storm water from roof – top, paved surfaces and landscaped surfaces should be properly channelized to the rain water harvesting sumps through efficient storm water network

9. PP should ensure road width, front MOS and side / rear as per MPBVR 2012.
10. The building shall be designed for compliance with earth quake resistance and resisting other natural hazardous.
11. The height, Construction built up area of proposed construction shall be in accordance with the existing FSI/FAR norms of the urban local body/T&CP& it should ensure the same along with survey number before approving layout plan & before according commencement certificate to proposed work.
12. Wet Garbage shall be composted in Organic waste convertor. Adequate area shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for segregation, composting. The Inert waste from the project will be sent to dumping site.
13. **For firefighting:-**
 - a. PP should ensure distance of fire station approachable from the project site. All the required fire fighting arrangement should be made available on the project site as per NBC 2016
 - b. The occupancy permit shall be issued by Municipal Corporation only after ensuring that all fire fighting measures are physically in place.
 - c. Sufficient peripheral open passage shall be kept in the margin area for free movement of fire tender/ emergency vehicle around the premises
14. Provide solar lights for common amenities like Street lighting & Garden lighting.
15. Electrical charging points for E-Vehicles shall be provided to promote clean energy.
16. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and /or invasive species should not be used for landscaping
17. Any change in the correspondence address should be duly intimated to all the regulatory authorities within 30 days of such change.
18. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Impact Assessment (if applicable) and approved by SEAC must be ensured.
19. All activities / mitigative measures proposed by PP in Environmental Management Plan and approved by SEAC must be ensured.
20. Project Proponent has to strictly follow the direction/guidelines issued by MoEF, CPCB and other Govt. agencies from time to time.
21. The Ministry or any other competent authority may alter/modify the conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
22. This environmental clearance will be valid for a period of ten years from the date of its issue as per MoEF & CC, GoI notification No. S.O. 1807 (E) dated 12.04.2022 or till the completion of the project, whichever is earlier.
23. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

24. The Project Proponent has to upload soft copy of half yearly compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions on 1st June and 1st December of each calendar year on MoEF & CC web portal - <http://www.environmentclearance.nic.in/> or <http://www.efclearance.nic.in/> and submit hard copy of compliance report of the stipulated prior environmental clearance terms and conditions to the Regulatory Authority also
25. The Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal and MPPCB shall monitor compliance of the stipulated conditions. A complete set of documents including Environment Impact Assessment Report. Environmental Management Plan and other documents information should be given to Regional Office of the MoEF, Gol at Bhopal and MPPCB.
26. The Project Proponent shall inform to the Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal and MP PCB regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.
27. In the case of expansion or any change(s) in the scope of the project, the project shall again require prior Environmental Clearance as per EIA notification, 2006.
28. The SEIAA of M.P. reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.
29. The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company and in the public domain.
30. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions and shall also be sent to the Regional Office of MoEF.
31. A copy of the environmental clearance shall be submitted by the Project Proponent to the Heads of the Local Bodies, Panchayat and municipal bodies as applicable in addition to the relevant officers of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
32. The Project Proponent shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at website of the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) at www.mpseiaa.nic.in and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office, MoEF, Gol, Bhopal.
33. Any appeal against this prior environmental clearance shall lie with the Green Tribunal, if necessary, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

SEIAA द्वारा अधिरोपित मानक शर्तें (For River Valley/Irrigation Projects)

परिशिष्ट-2

- i. A grievances redress mechanism should be devised by WRD GoMP and put in place so that aggrieved PAFs and other stakeholders may approach the Authority easily for resolution of any dispute/conflict.
- ii. PP shall ensure that, land required for the proposed project is acquired and possession is taken only after payment of compensation to the land holders as per the provision of the Right to fair compensation and transparency in land acquisition Act amended from time to time.
- iii. A monitoring Committee for R & R shall be constituted which shall include representatives of project affected persons including representative from Sc/ST.
- iv. No additional land shall be used/acquired for any activity of the project without obtaining proper permission.
- v. PP to take utmost precaution for health and safety of the people working in the project as also for protecting the environment.
- vi. In the event of the failure of any pollution control system adopted by the project proponent, the project shall be immediately put out of operation and shall not be restarted until the desired efficiency has been achieved.
- vii. A detailed scheme for rainwater harvesting shall be prepared and implemented to recharge ground water.
- viii. To enhance the natural environmental quality & aesthetics of project site, plantation, as proposed in the EMP Report shall be undertaken in the proposed area. Allocated grant for this purpose shall be fully utilized separately and not to be diverted for any other purpose.
- ix. Occurrence of stagnant pools/slow moving water channels during construction and operation of the project may provide breeding source for vector mosquitoes and other parasites. The river should be properly channelized so that no small pools and puddles are allowed to be formed. Even after taking precaution, due to unforeseen situations, breeding of mosquito and resultant malaria or mosquito borne diseases can increase. If such a situation arises, it will be the responsibility of project authorities to take all steps i.e. residual insecticidal spray in all the project area and surrounding 3 km. Area keeping the flight range of mosquitoes in consideration. Also medical assistance to be provided to the affected people at the cost of the developer and appropriate health benefits may be initiated with the help of State Health Department. It is recommended that contractors should enforce standards, recommended by Occupational Safety and Health Administration (OSHA).
- x. Regular monitoring of water quality (Surface and Ground) including heavy metals shall be undertaken in the project area and around the project area to ascertain the change, if any, in the water quality due to leaching of contaminants, if any, from the increased use of chemical fertilizers and pesticides.
- xi. PP should ensure the pumps and pump house building are designed in such a way that outside noise levels will not exceed the CPCB standards.

- xii. As alternate source of power PP should ensure to install required solar panels to proper running of Pump house.
- xiii. The budgetary provisions for implementation of EMP, shall be fully utilized and not to be diverted to any other purpose. In case of revision of the project cost or due to price level change, the cost of EMP shall also update proportionately.
- xiv. If marshy land create during operation period the adequate measure should be taken by PP.
- xv. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM issued vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 25 February 2021, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility and Environmental Management Plan.
- xvi. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F. No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018 regarding Corporate Environment Responsibility. The activities under CER shall be worked out as per the para no. (V) of the aforesaid OM and shall be restricted to the affected area around the project. The entire activities under CER shall be treated as project and shall be monitored. The monitoring report shall be submitted to the regional office as a part of half-yearly compliance report and to a District Collector.
- xvii. PP needs to comply the OM dated 24.07.2024 of MoEFCC, where it is stated that the plantation of saplings shall be carried out in the earmarked 33% greenbelt area as part of the tree plantation campaign " EK Ped Ma ke Naam" (and the details of the same shall be uploaded in the MeriLife portal (<https://merilife.nic.in>)).
- xviii. The validity of the Environmental Clearance (EC) extends up to 13 years to the start of production operations or the commissioning of the project. The EC's validity becomes perpetual if production operations commence on or before the specified date. Should the Project Proponent fail to initiate production operations within the EC validity period, an application for an extension must be submitted to the regulatory authority, in accordance with Para 9.0 of the EIA Notification, 2006, as amended.